कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा–324005

प्रबन्ध–मण्डल की 48वीं बैठक दिनांक 23.09.2023

कार्यवृत

प्रबंध–मंडल की 48वीं बैठक दिनांक 23.09.2023 को अपराह्न 12:15 बजे hybrid mode में विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित बैठक हॉल में माननीया कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित की सहभागिता रही :–

	प्रो0 नीलिमा सिंह माननीया कुलपति महोदया, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	**अध्यक्ष**
2.	**श्री आशीष शर्मा,** कोषाधिकारी, कोटा सचिव वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा नामित सदस्य के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	**डॉ. फिरोज अख़्तर** (Online) नामित सदस्य, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप–4), राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
4.	**प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत** (Online) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
5.	**प्रो. एन. सी. गौतम** कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
6.	**डॉ. एकता धारीवाल** राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्	सदस्य
7.	**डॉ. जगदीश प्रसाद सैनी** (Online) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्	सदस्य
8.	**प्रो. संजय भार्गव** राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित प्राचार्य	सदस्य
9.	**प्रो. फूल सिंह गुर्जर** प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता	सदस्य
10.	**डॉ. के.के. शर्मा** कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता	सदस्य
11.	**प्रो. रीना दाधीच** कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य	सदस्य

12. डॉ. अनुकृति शर्मा — सदस्य
विश्वविद्यालय अध्यापक–निर्वाचित सदस्य

13. डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा — सदस्य
विश्वविद्यालय अध्यापक–निर्वाचित सदस्य

14. श्रीमती पूनम मेहता — विशेष आमंत्रित सदस्य
वित्त नियंत्रक

15. प्रो. आर. के. उपाध्याय — सदस्य सचिव
कुलसचिव

आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर; श्रीमती इन्द्रा मीणा, माननीय विधायक, बामनवास, सवाई माधोपुर; श्री पानाचंद मेघवाल, माननीय विधायक, अटरू जिला बारां बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव एवं माननीय कुलपति महोदया द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन किया गया।

प्रबन्ध–मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार संकल्प / निर्णय पारित किये गये :–

मद संख्या–1	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.11.2022 के कार्यवाही विवरण पर माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार–विमर्श कर अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 10.11.2022 के कार्यवाही विवरण पर माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को बैठक में कुलसचिव द्वारा वाचन किया गया। सनदी लेखाकार द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट के वार्षिक लेखों में पाये गये अन्तर का विशेष टास्क फोर्स का गठन कर Reconcilation करवाए जाने संबंधी वित्त नियंत्रक के संशोधन संबंधी सुझाव में की गई कार्यवाही के बारे में सदन ने जानकारी चाही। विशेष टास्क फोर्स का गठन एक सप्ताह मे कर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र संपादित करने के निर्देश प्रदान किए गए। डॉ. एकता धारीवाल, प्रो. संजय भार्गव, डॉ. जे.पी. सैनी, माननीय प्रबन्ध–मण्डल सदस्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर चर्चा कर निम्नानुसार निर्णय लिए गए :– (i) प्रबन्ध मण्डल की बैठक online व offline (hybrid) mode पर आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया तथा वीडियोग्राफी करवाने संबंधी सुझाव को पारित किया गया। (ii) दिनांक 10.11.2022 को आयोजित प्रबंध–मंडल की बैठक के कार्यवाही विवरण में पृष्ठ सं. 2 के प्रथम पैराग्राफ की अंतिम लाईन–"जिस पर सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों ने विरोध भी दर्ज किया" को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया।

		(iii) उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के मद सं. 11 के निर्णय में प्राप्त प्रतिक्रिया के संबंध में माननीय कुलपति महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत 6 कार्मिक संविदाकर्मी नहीं है। वे प्रबंध मण्डल की mercy से विश्वविद्यालय में कार्यरत है। इसलिए राज्य सरकार के संविदा कर्मियों के नियमों के अनुसार सेवा अवधि के अनुरूप मासिक मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान तथा वार्षिक वेतन वृद्धि संभव नहीं है। इस पर सदन द्वारा विचार विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से उक्त प्रकरण पर राय प्राप्त कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही किए जाने की अनुशंषा की गई। (iv) उक्त कार्यवाही विवरण के टेबल एजेण्डा–1 के निर्णय के अन्तर्गत विश्वविद्यालय शिक्षकों के सीएएस (CAS) स्वीकृति प्रदान न करने संबंधी प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर मा. कुलपति महोदया ने अवगत कराया कि उक्त प्रकरण पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक के दृष्टिगत विश्वविद्यालय शिक्षकों का सीएएस नहीं किया गया। दिनांक 10.11.2022 को आयोजित हुई प्रबंध मंडल की बैठक में लिये गये शेष निर्णयों को यथावत अनुमोदित किया गया। प्रबंध मंडल के पूर्व बैठकों के कार्यवृत समय पर अनुमोदित नहीं होने पर माननीय प्रबंध मंडल सदस्य प्रो. एन.सी. गौतम द्वार आपत्ति जताई गई तथा भविष्य में प्रबंध मंडल की बैठकों के कार्यवृतों को बहुमत के आधार पर अनुमोदित माना जाये, का सुझाव दिया। सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमत व्यक्त की।
मद संख्या–2	:	**प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 17.02.2023, 25.03.2023, 18.04.2023 व 28.04.2023 की बैठक द्वारा Circulation (प्रसार) माध्यम से अनुमोदित कार्यवृत्त की पुष्टि करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 17.02.2023, 25.03.2023, 18.04.2023 व 28.04.2023 की बैठक द्वारा Circulation (प्रसार) माध्यम से अनुमोदित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
मद संख्या–3	:	**प्रबन्ध मण्डल की Circulation माध्यम से आयोजित बैठक दिनांक 17.02.2023, 25.03.2023, 18.04.2023 व 28.04.2023 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की Circulation माध्यम से आयोजित बैठक दिनांक 17.02.2023, 25.03.2023, 18.04.2023 व 28.04.2023 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–4	:	**वित्त समिति की 21वीं बैठक दिनांक 29.03.2023 का कार्यवाही विवरण एवं बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022–23 का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	वित्त समिति की 21वीं बैठक दिनांक 29.03.2023 का कार्यवाही विवरण एवं बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022–23 का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया। प्रो. एन. सी. गौतम, माननीय सदस्य, प्रबंध मंडल ने विश्वविद्यालय बजट का Visionary estimate बनाने तथा Outside project को Promote किये जाने पर बल दिया।
मद संख्या–5	:	**निरीक्षण मण्डल** (Board of Inspection) **की दिनांक 09.06.2023 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	निरीक्षण मण्डल (Board of Inspection) की दिनांक 09.06.2023 को आयोजित हुई बैठक के मद सं. 11 (1) में विश्वविद्यालय परिसर में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य व शिक्षकों के चयन करवाये जाने संबंधी अनुशंषाओं पर प्रबंध मंडल में विचार–विमर्श हुआ। उपरोक्त अनुशंषाओं में विश्वविद्यालय परिसर में सिर्फ प्राचार्य का चयन करवाये जाने का निर्णय लिया गया। महाविद्यालय से उक्त चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय में करवाने हेतु राशि रू. 10,000 लिये जाने के निरीक्षण मण्डल के निर्णय की पुष्टि की गई। चयन समिति को दिये जाने वाला मानदेय महाविद्यालय को पृथक से स्वयं वहन करना होगा। निरीक्षण मण्डल की दिनांक 09.06.2023 को आयोजित हुई बैठक में लिये गये शेष निर्णयों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–6	:	**कोटा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एम.एस.सी. वाइल्ड लाइफ सांइस पाठ्यक्रम में चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र विशाल श्रीमाल के** Dissertation **कार्य हेतु** SACON (Salim Ali centre for ornithology and natural history) **संस्थान कोयम्बटूर, तमिलनाडु जाने पर वहां जंगली हाथी द्वारा किये गये हमले में मृत्यु होने पर विश्वविद्यालय द्वारा छात्र परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किये जाने के प्रकरण में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया जाना।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र विशाल श्रीमाल की मृत्यु होने पर विश्वविद्यालय द्वारा छात्र परिजनों को रू. 2.00 लाख की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किये जाने की अनुशंषा की गई। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का समूह दुर्घटना बीमा शीघ्र करवाया जाये। दुर्घटना बीमा के संबंध में राज्य सरकार में समय समय पर प्रचलित समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत् बीमा करवाया जाये या प्रचलित योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय छात्रों का पंजीयन आवश्यक रूप से करवाये जाने संबंधी निर्णय लिया गया। प्रबंध मंडल के माननीय सदस्य डॉ. एकता धारीवाल ने राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना विद्यार्थियों के लिए करवाये जाने का सुझाव दिया।

मद संख्या–7	:	**विश्वविद्यालय की केन्द्रीय प्रवेश नीति की बैठक दिनांक 19.12.2022 की बिन्दु संख्या 01 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क का पुर्ननिर्धारण संबंधी विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 3784 दिनांक 21.08.2023 को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रिपोर्ट करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय की केन्द्रीय प्रवेश नीति की बैठक दिनांक 19.12.2022 की बिन्दु संख्या 01 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क का पुर्ननिर्धारण संबंधी विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 3784 दिनांक 21.08.2023 की पुष्टि की गई।
मद संख्या–8	:	**राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों में उल्लेखित शर्तों पर कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू किये जाने बाबत् जारी विश्वविद्यालय अधिसूचना पत्रांक 2247–2256 दिनांक 03.06.2023 को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रिपोर्ट करना तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2023 के द्वारा 15 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान राशि पेंशन निधि में कर्मचारियों के स्थान पर विश्वविद्यालय से जमा करवाने की अनुमति प्रस्ताव बाबत्।**
निर्णय	:	राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों में उल्लेखित शर्तों पर कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू किये जाने बाबत् जारी विश्वविद्यालय अधिसूचना पत्रांक 2247–2256 दिनांक 03.06.2023 की पुष्टि करते हुये विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने संबंधी निर्णय पारित किया गया। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2023 के द्वारा 15 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान राशि पेंशन निधि में कर्मचारियों के स्थान पर विश्वविद्यालय से जमा करवाने की अनुमति संबंधी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से एनपीएस में जमा नियोक्ता अंशदान की संपूर्ण राशि (100 प्रतिशत राशि) मय अर्जित मूल्य के सेवानिवृत्ति के समय विश्वविद्यालय में जमा करवाने हेतु विश्वविद्यालय कर्मचारियों से अण्डरटेकिंग/शपथ पत्र लेने की शर्त पर अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–9	:	**विश्वविद्यालय की कार्य सुगमता हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), नई दिल्ली तथा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/पत्रों व अधिसूचनाओं को कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में विश्वविद्यालय की कार्य आवश्यकताओं के लिए उपयोगी/कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पादित करवाने हेतु अंगीकृत किये जाने की सहमति बाबत् प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की कार्य आवश्यकताओं के लिए उपयोगी/कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पादित करवाने हेतु आवश्यकतानुसार इस विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने के लिए मा0 कुलपति महादया को अधिकृत किया गया तथा संबंधित कार्यवाही/आदेशों को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रिपोर्ट किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–10	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत् 06 कर्मियों की सेवा अवधि में 01.07.2023 से एक वर्ष के लिये की गयी अभिवृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत् 06 कर्मियों की सेवा अवधि में 01.07.2023 से एक वर्ष के लिये अभिवृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। भविष्य में उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने पर आगामी अवधि बढ़ाने हेतु मा0 कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया तथा बढ़ायी गई सेवा अवधि संबंधी आदेशों को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रिपोर्ट किये जाने का निर्णय लिया गया।
मद संख्या–11	:	**विश्वविद्यालय के खेल मण्ड़ल एवं शारीरिक शिक्षा विभाग हेतु सृजित प्रशिक्षक एवं फिजियोथेरेपिस्ट पदों पर नियुक्ति हेतु, चयन समिति की बैठकें दिनांक 26.07.2023 में की गयी अनुशंषाओं का अनुमोदन करवाने सम्बन्धी प्रस्ताव।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय के खेल मण्ड़ल एवं शारीरिक शिक्षा विभाग हेतु अस्थायी सृजित खेल प्रशिक्षक एवं फिजियोथेरेपिस्ट पदों पर नियुक्ति हेतु, चयन समिति की बैठकें दिनांक 26.07.2023 में की गयी अनुशंषाओं के बंद लिफाफे खोले जाकर अनुशंषाओं का अनुमोदन किया गया। तद्नुसार चयन समिति की अनुशंषाओं के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थी अस्थायी रूप से चयनित हुये हैः– 1. शाहबाज खान, प्रशिक्षक बास्केटबॉल 2. श्री आशीष यादव, प्रशिक्षक क्रिकेट 3. मोहम्मद अफरोज अब्बास, जिम ट्रेनर 4. डॉ. सृष्टि गोसाई, फिजियोथेरेपिस्ट
मद संख्या–12	:	**कोटा विश्वविद्यालय को बी.फार्म. पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार से स्वीकृत शैक्षणिक संवर्ग के विभिन्न 16 पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में इस बाबत् गठित समिति की दिनांक 03.08.2023 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण/अनुशंषाओं का अनुमोदन कर, उक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव तथा शिक्षकों के 08 रिक्त पद जिन्हें भरने की अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त है, उन्हें भी विज्ञापित करने की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।**
निर्णय	:	इस संबंध में कोटा विश्वविद्यालय को बी.फार्म. पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार से स्वीकृत शैक्षणिक संवर्ग के विभिन्न 16 पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में इस बाबत् गठित समिति की दिनांक 03.08.2023 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण/अनुशंषाओं का अनुमोदन किया जाकर प्रस्ताव अनुसार पदों को भरे जाने हेतु कार्यवाही करने संबंधी निर्णय पारित किये गये।

मद संख्या–13	:	**स्वर्गीय विपिन कुमार शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पुत्र पवन शर्मा द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/आवेदन पत्र के क्रम में राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 एवं यथा संशोधित नियम 2012 के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	स्वर्गीय विपिन कुमार शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पुत्र पवन शर्मा द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/आवेदन पत्र के क्रम में राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 एवं यथा संशोधित नियम 2012 के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–14	:	**विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान में KEDL से 250 kw का विद्युत कनेक्शन Sanction लोड को बढ़ाया जाने संबंधी प्रस्ताव।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान में KEDL से 250 kw का विद्युत कनेक्शन Sanction लोड को बढ़ाया जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–15	:	**विश्वविद्यालय परिसर में 2 BHK & 3 BHK के 4–4 क्वार्ट्र का निर्माण करवाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में 2 BHK & 3 BHK के 4–4 क्वार्ट्र का निर्माण करवाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–16	:	**विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के सेमिनार हॉल एवं मीटिंग हॉल का किराया निर्धारण संबंधी विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 1972 दिनांक 15.06.2019 की पुष्टि बाबत्।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के सेमिनार हॉल एवं मीटिंग हॉल का किराया निर्धारण संबंधी विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 1972 दिनांक 15.06.2019 की पुष्टि की गई। नवीन भवनों/मीटिंग हॉल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान परिपेक्ष्य में उक्त दरों की समीक्षा करने हेतु समिति का गठन करने के लिए मा. कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
पूरक मद सं. 1	:	**विद्या परिषद की बैठक दिनांक 07.09.2023 (by circulation method) के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विद्या परिषद की बैठक दिनांक 07.09.2023 (by circulation method) के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
पूरक मद सं. 2	:	**विश्वविद्यालय भवनों परिसम्पत्तियों तथा कार्यालय में समुचित सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार गृह रक्षा स्वयं सेवकों (होमगार्ड) को तैनात करने की स्वीकृति बाबत्।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय भवनों परिसम्पत्तियों तथा कार्यालय में समुचित सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार गृह रक्षा स्वयं सेवकों (होमगार्ड) को तैनात करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक मद सं. 3	:	**सीएएस के तहत पदोन्नति के सम्बन्ध में यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 में स्टेज.3 से 4 (अकेडमिक लेवल 12 से 13ए) के अन्तर्गत दिये गये पदोन्नति प्रावधानों के संदर्भ में यूजीसी द्वारा जारी स्पष्टीकरण** Public Notice **दिनांक 23.12.2022 एवं 03.02.2023 के क्रम में डॉ. जय प्रकाश शर्मा, सह आचार्य (भूगोल) का प्रकरण विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।**
निर्णय	:	सीएएस के तहत पदोन्नति के सम्बन्ध में यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 में स्टेज 3 से 4 (अकेडमिक लेवल 12 से 13ए) के अन्तर्गत दिये गये पदोन्नति प्रावधानों के संदर्भ में यूजीसी द्वारा जारी स्पष्टीकरण Public Notice दिनांक 23.12.2022 एवं 03.02.2023 के क्रम में डॉ. जय प्रकाश शर्मा, सह आचार्य (भूगोल) को दिनांक 27.02.2021 के स्थान पर दिनांक 31.08.2020 से उक्त लाभ दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों पर सदन में चर्चा उपरान्त यू.जी.सी. द्वारा जारी उक्त संदर्भित स्पष्टीकरण का परीक्षण/समीक्षा करने हेतु समिति का गठन करने के लिए मा. कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। इस बाबत प्राप्त समिति की अनुशंषाओं को आगामी प्रबन्ध–मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने संबंधी निर्णय लिया गया।
पूरक मद सं. 4	:	**अन्य मद कुलपति की अनुमति से।** 1. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत जिन 03 शिक्षकों की सी.ए.एस. के तहत् सह–आचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है, उक्त बाबत हुई चर्चानुसार विषय–विशेषज्ञों के पैनल राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाने के लिए विद्या परिषद की अति आवश्यक विशेष बैठक शीघ्र आहुत कर, अनुशंषित पैनल सीधे ही राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाने हेतु मा. कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। 2. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत प्रोक्टर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय), बुक लिफ्टर द्वारा प्रबंध मंडल के माननीय सदस्यों को वेतनमान में संशोधन/पदोन्नति के संबंध में दिये गये अभ्यावेदनों पर बैठक में चर्चा की गई। उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रो. रीना दाधीच, माननीय सदस्य, प्रबंध मंडल की अध्यक्षता में एक समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। 3. खोजबीन समिति, चयन समिति, प्रबंध मंडल व विद्या परिषद के माननीय सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय पर चर्चा की गई। माननीय सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय में निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से वृद्धि की गई :– खोजबीन समिति:--रू. 5,000 प्रति व्यक्ति प्रति बैठक चयन समिति:–रू. 5,000 प्रति व्यक्ति प्रति बैठक प्रबंध मंडल:–रू. 5,000 प्रति व्यक्ति प्रति बैठक विद्या परिषद:–रू. 2,000 प्रति व्यक्ति प्रति बैठक

		विश्वविद्यालय कार्मिक जो प्रबंध मंडल में आन्तरिक सदस्य है उन्हें भी बैठक का मानदेय दिये जाने की अनुशंषा की गई। 4. आसन की अनुमति से वित्त नियंत्रक ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये :– (i) लेखा एवं वित्त अनुभाग का Automation करने हेतु software क्रय करने की अनुमति संबंधी प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। (ii) विश्वविद्यालय कार्मिकों को वेतन PRI के माध्यम से दिये जाने सबंधी प्रस्तावों पर प्रबंध मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। (iii) विश्वविद्यालय कार्मिकों को दिया गया Advance का Realization/Adjustment समय पर नहीं करने संबंधी विषय सदन में रखा। सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गई। 5. प्रो. रीना दाधीच द्वारा विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक कार्मिकों की तरह शिक्षकों को भी प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार का अवकाश प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव सदन में रखा गया। उक्त प्रस्ताव पर राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में इस संबंध में चल रही व्यवस्था संबंधी जानकारी प्राप्त कर आगामी प्रबंध मंडल की बैठक में रखे जाने की अनुशंषा की गई।

अन्त में कुलपति महोदया ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

(प्रो. नीलिमा सिंह)
कुलपति
एवं अध्यक्ष

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव